ग्राम पंचायत कुठार खुर्द, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कुठार खुर्द विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री राम किशन	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्री अशोक कुमार	23.1.2016 से अघतन

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री बलविन्द्र कुमार	1.4.2013 से अघतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत कुठार खुर्द के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	6	खाता–ख अनुदानों से अर्जित ब्याज को खाता–क में अन्तरित न करना	0.18
2.	7	अनुदानों को उपयोग न करना	4.46
3.	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बगैर स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.69
4.	9	पंचायत द्वारा क्रय किए गए सामान को स्टॉक/स्टोर रजिस्टरों में दर्ज न करना	1.46

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :—

ग्राम पंचायत कुठार खुर्द, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 5.9.2016 से 8.9.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 11/14, 12/15 व 3/14, 11/14, 12/15 का चयन किया गया, जिसके परिणाम को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :—

ग्राम पंचायत कुठार खुर्द, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अधियाचना संख्या : 270, दिनांक 6.6.2016 द्वारा सचिव, पंचायत कुठार खुर्द से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत कुठार खुर्द द्वारा के0सी0सी0बी0 ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्याः 312467, दिनांक 7.9.2016 द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171009 को प्रेषित किया गया है।

4. वित्तीय स्थिति :—

ग्राम पंचायत कुठार खुर्द द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :—

ग्राम पंचायत कुठार खुर्द के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	28992.61	58689	87681.61	34790	52891.61
2014—15	52891.61	44228	97119.61	40445	56674.61
2015—16	56674.61	51142	107816.61	68334	39482.61

(2) अनुदान :—

ग्राम पंचायत कुठार खुर्द के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	351255	2209383	2560638	2096212	464426
2014—15	464426	1421841	1886267	1513997.81	372269.19
2015—16	372269.19	1662445	2034714.19	1588375	446339.19

4.1 बैंक समाधान विवरणीः—

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कुठार खुर्द द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया। अतः पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक 31.3.2016 को स्वः स्त्रोत का अन्तशेष =	₹39482.61
दिनांक 31.3.2016 को अनुदान राशि का अन्तशेष =	₹446339.19
योग	**₹485821.80**

अन्तशेष का विवरणः—

दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	शीर्ष / निधि	राशि (₹)
1.	20013012718	के0सी0सी0बी0 ऊना	सभा निधि / तृतीय वित्तायोग	411825.80
2.	50051881757	—यथोपरि—	योजना	56604
3.	50051881598	—यथोपरि—	आई0ए0वाई0	16109
4.	50051880050	—यथोपरि—	13वें वित्तायोग	1283
5.	20013067428	—यथोपरि—	वाटरशैड	—

6.	50056097674	—यथोपरि—	मनरेगा	—
			कुल योग	**₹485821.80**

4.2 (i) रोकड़ वही को नियमानुसार तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्याः 1 से 50 में वर्णित आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता—क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम—3 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं सें प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता—ख जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक पंचायत ने अपनी आय के स्त्रोतों की रोकड़ वही में कुछ अनुदानों की आय को भी सम्मिलित किया गया था व शेष अनुदानों हेतु पांच रोकड़ वहियां अलग से लगाई गई थी, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख—रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता—क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख—रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) ग्राम पंचायत कुठार खुर्द की सभा निधि/तृतीय वित्तायोग की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि उक्त रोकड़ वही का रख—रखाव नियमानुसार नहीं किया गया है। अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के दौरान रोकड़ वही में प्रतिदिन व प्रत्येक माह का आरम्भिक शेष व अन्तिम शेष नहीं निकाला गया है। केवल हस्तगत रोकड़ का ही शेष उठाया गया है। शीर्षवार रोकड़ वही भी तैयार नहीं की गई है, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उक्त अनियमितता के कारण उक्त रोकड़ वही के आरम्भिक व अन्तिम शेषों की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः उक्त रोकड़ वही में प्रतिदिन व प्रत्येक माह का बैंक शेष व हस्तगत रोकड़ के अनुसार आरम्भिक व अन्तिम शेष न दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से उक्त रोकड़ वही का रख—रखाव निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म—II में पंचायत आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्लन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट

प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. खाता (ख) के ब्याज ₹0.18 लाख को खाता (क) में अन्तरित न करना :–

(i) हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष मास जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता ख से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता क में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ग्राम पंचायत कुठार खुर्द के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निम्नानुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज में ₹17707 को अन्तरित नहीं किया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से खाता–ख के बैंक खातों में अर्जित ब्याज को खाता–क में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	वर्ष	योजना	आई0ए0वाई0	मनरेगा	13वें वित्तायोग	योग
1.	2013–14	4713	482	2297	636	8128
2.	2014–15	6355	165	179	26	6725
3.	2015–16	2142	91	0	621	2854
	योग	**₹13210**	**₹738**	**₹2476**	**₹1283**	**₹17707**

7. अनुदान ₹4.46 लाख का उपयोग न करना:–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट–1 के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अनुदान ₹446339.19 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.69 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट—3(i से ii)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹469349 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. पंचायत द्वारा क्रय किए गए ₹1.46 लाख के सामान को स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना :—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय व जारी किए गए सामान की प्रविष्टियां स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में में की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट—3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹145748 का स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया, लेकिन उक्त सामान की स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्ति प्रविष्टियां नहीं की गई। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :—

ग्राम पंचायत कुठार खुर्द में संलग्न परिशिष्ट—4 के अनुसार मनरेगाा के अन्तर्गत अंकेक्षण हेतु चयनित माहों के दौरान ₹1095765 के मस्टरोलों द्वारा मजदूरी का भुगतान विभिन्न विकास कार्यों को करवाने हेतु किया गया, लेकिन करवाए गए विकास कार्यों के अनुमान/प्राकलन व वास्तविक रूप से निष्पादित किए गए कार्यों के मापन की माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप करवाए गए कार्यों की वास्तविकता की जांच अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. मानदेय/वेतन के रूप में ₹1.39 लाख भुगतान दर्शाई गई राशि के बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :–

जांच के दौरान पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत विभिन्न मासों के दौरान सभा निधि/तृतीय वित्तायोग, 12वें वित्तायोग की रोकड़ वही से निम्नविवरणानुसार विभिन्न पंचायत पदाधिकारियों व कर्मचारियों को मानदेय/वेतन के रूप में ₹139430 का भुगतान किया गया है।

क्र0 सं0	वा0 सं0/ दिनांक	प्रतिनिधि/कर्मचारी का नाम	अवधि	राशि (₹)
1.	40, 5.3.14	जल रक्षक	11/13 से 12/13	2700
2.	17, 5.3.14	प्रधान	4/14 से 9/14	12600
3.	–यथोपरि–	उप प्रधान	–यथोपरि–	10800
4.	–यथोपरि–	वार्ड सदस्य	–यथोपरि–	12000
5.	18, 5.11.14	सिलाई अध्यापिका	7/14 से 9/14	4800
6.	19, 5.11.14	चौकीदार	1/14 से 9/14	17400
7.	20, 5.11.14	पशु चिकित्सक सहायक	7/14 से 9/14	15000
8.	41, 4.12.15	पंचायत प्रधान	4/15 से 9/15	12600
9.	41, 4.12.15	उप प्रधान	4/15 से 9/15	10800
10.	–यथोपरि–	वार्ड सदस्य	–यथोपरि–	12000
11.	42, 4.12.15	चौकीदार	4/15 से 9/15	12000
12.	43, 4.12.15	सिलाई अध्यापिका	–यथोपरि–	6000
13.	44, 4.12.15	जल रक्षक	8/15 से 10/15	4050
14.	45, 4.12.15	चौकीदार वर्दी	–यथोपरि–	1680
15.	61, 4.12.15	पशु चिकित्सक सहायक	9/15	5000
			कुल योग	**₹139430**

उपरोक्त विभिन्न कर्मचारियों/प्रतिनिधियों को मानदेय/वेतन के रूप में ₹139430 के भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित बिल/वाउचर नस्ति में उपलब्ध नहीं थे। बिल/वाउचर के अभाव में उपरोक्त उल्लेखित भुगतान दर्शाई गई राशि को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः वांछित बिल/वाऊचर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं, ताकि भुगतान दर्शाई गई राशि की सत्यतता की सत्यापना सम्भव हो सके।

12. वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत कुठार खुर्द द्वारा नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत कुठार खुर्द के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व तारीख अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. टी0डी0एस0 की कटौती न करना :–

आयकर की धारा 194(सी0) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹3000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक एकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक विभिन्न व्यक्तियों, ठेकेदारों व फर्मों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है। अतः अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

14. स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रयोजन हेतु उपसमिति का गठन न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67(3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से एक उप समिति गठित की जानी अपेक्षित थी, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा यह उप समिति गठित न कर स्टोर/सामग्री का अनियमित क्रय किया है। अतः स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन उपसमिति के गठन के बगैर करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय किए गए स्टोर (सामान) को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

14.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी

समिति का गठन करना अपेक्षित था, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत कुठार खुर्द द्वारा किसी भी निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया है व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना ही स्वयं करवाए गए हैं, जोकि उक्त नियमानुसार अनियमित है। अतः प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के गठन के बगैर अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यों को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

15. अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के दौरान क्रय सामग्री की मात्रा की मापन ईकाई को फुट व ट्रॉली के रूप में गलत दर्शाना :–

ग्राम पंचायत कुठार खुर्द के अंकेक्षण हेतु चयिनत मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत कुठार खुर्द द्वारा सामग्री के रूप में जो भी रेता, बजरा, बजरी व पत्थर इत्यादि क्रय किया गया है, उस सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रवष्टियां ट्रॉली इत्यादि के रूप में दर्ज किया गया व तदानुसार माप पुस्तिकाओं में कार्य का मूल्यांकन करते समय सम्पूर्ण सामग्री जैसे रेता, बजरी, बजरा व पत्थर इत्यादि को ट्रॉली इत्यादि के रूप में दर्शाया गया है, जोकि कार्य नियमों की गम्भीर अवहेलना आपत्तिजनक है। नियमानुसार रेता, बजरी, बजरा एवं पत्थर इत्यादि की मात्रा को घन फुट या घन मीटर में ही मापा जा सकता है व ट्रॉली फुट के रूप में नापा/मापा जाना असम्भव है। यहां यह उल्लेखित है कि निर्माण/मुरम्मत कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायक व ब्लॉक स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निष्पादित करवाए जाते हैं, जिनका कार्य केवल निर्माण/मुरम्मत कार्यों को निर्धारित मापदण्डों एवं तयमानकों के अनुरूप निष्पादित करवाना है। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के उक्त सामग्री रेता, बजरी, बजरा व पत्थर इत्यादि के स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार तैयार किए जाएं, ताकि निष्पादित किए गए कार्यों में प्रयोग दर्शाई सामग्री की वास्तविकता की जांच सम्भव हो सके व किसी प्रकार के सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16. माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार न करना :–

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह विकास कार्यों हेतु लाखों रूपये की सामग्री जैस रेत, बजरी, बजरा, पत्थर, सीमेंट व ईटें इत्यादि खरीदा गया, लेकिन माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार नहीं की गई, जिसके फलस्परूप इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि जिस कार्य हेतु प्राकलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामग्री खरीदी गई थी,

क्या वास्तव में उतनी ही मात्रा में सामग्री का उपयोग हुआ था। अतः भविष्य में माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

17. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का रख–रखाव न करना :–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अपेक्षित है।

(i) रोजगार रजिस्टर

(ii) शिकायत रजिस्टर

ग्राम पंचायत कुठार खुर्द द्वारा उपरोक्त उल्लेखित अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित है। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वान्छित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रजिस्टर	–	103
4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)
10.	निमार्ण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

19. **प्रत्यक्ष सत्यापन :—**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20. **लघु आपत्ति विवरणिका :—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

21. **निष्कर्ष :—** लेखों के रख—रखाव में बहुत सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(v),6 / 2016 खण्ड—1—6081—6084 दिनांकः16.11. 2016 , शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत कुठार खुर्द, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या **1(ख)** में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0प्र0

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.